

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, रामगढ़।

(आपूर्ति शाखा)

निविदा संख्या - 04/2015-16

—: अल्प कालीन पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना :-

रामगढ़ जिला अंतर्गत डोर स्टेप डिलेवरी के तहत वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए प्रखण्ड रामगढ़ (दुलमी एवं चितरपुर सहित), गोला, माण्डू एवं पतरातु प्रखण्डों के लिए राज्य खाद्य निगम के गोदामों से संबंधित जन वितरण प्रणाली दुकानों का 30.00 (तीसरा) रूपये प्रति क्वींटल की दर सीमा के अंतर्गत खाद्यान्न के परिवहन एवं हथालन करने हेतु निम्नांकित अर्हता रखने वाले इच्छुक परिवहन अभिकर्ताओं से दिनांक 21/5/16 के अपराह्न 3:00 बजे तक विहित प्रपत्र में पुनर्निविदा आमंत्रित किया जाता है।

तकनीकी बीड के लिए आवश्यक शर्तें/कागजात

1. रामगढ़ जिला अंतर्गत परिवहन का कारोबार करने एवं व्यापार स्थल रखने संबंधी प्रमाण-पत्र।
2. अनुमण्डल पदाधिकारी के अनूयून पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण-पत्र।
3. उपायुक्त द्वारा निर्गत अधिकतम 06 (छः) माह पूर्व का चरित्र प्रमाण-पत्र।
4. परिवहन अभिकर्ता प्रत्येक माह सभी दुकानों तक एक सप्ताह के अन्दर खाद्यान्न पहुँचाने हेतु आवश्यक मात्रा में वैद्य कागजातों वाले ट्रकों एवं गजदूरों की व्यवस्था करने में सक्षम है एवं परिवहन अभिकर्ता नियुक्त होने के बाद ऐसा ना करने पर कानूनी कार्रवाई के स्वतः भागी होंगे, के आशय का शपथ-पत्र विहित प्रपत्र में।
5. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रामगढ़ के पक्ष में प्रत्येक प्रखण्ड के लिए 1,00,000.00 (एक लाख) रूपये का अग्रधन राशि (रिफन्डेबुल) का बैंक ड्राफ्ट जो आवश्यकता अनुसार परिवहन अभिकर्ता द्वारा वैद्य कराकर पुनः जमा करना होगा। परिवहन अभिकर्ता नियुक्त होने के उपरान्त पुरे कार्यकाल तक रखा जाएगा एवं आवश्यक कार्य में टाल मटोल करने/अनियमितता बरतने के विरुद्ध इसे जवाब दिया जा सकेगा।
6. न्यायालय द्वारा सजा याप्ता/सरकारी खाद्यान्न से संबंधित अपराधिक मामले का अभियुक्त/काली सूचीबद्ध नहीं होने का शपथ-पत्र।
7. अद्यतन आयकर रिटर्न की छाया प्रति।
8. PAN कार्ड की अभिप्रमाणित छाया प्रति।
9. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रामगढ़ के पदनाम से 2,00,000.00 (दो लाख) रू० का बैंक गारंटी जो परिवहन अभिकर्ता नियुक्त होने के उपरान्त परिवहन-सह-हथालन कार्य में अनियमितता के विरुद्ध जिम्मेवार पाये जाने पर संबंधित बैंक से वसूलनीय होगा।


—: वित्तीय बीड हेतु प्रपत्र :-

1. आवेदित प्रखण्ड/क्षेत्र का नाम
2. निविदादाता का नाम
3. पिता/पति का नाम
4. आवासीय पता
- i) स्थायी पता
- ii) वर्तमान पता
5. व्यापार स्थल/कार्यालय का पता
- (दूरभाष एवं मोबाईल संख्या के साथ)
6. परिवहन-सह-हथालन दर प्रति क्विंटल

अभिप्रमाणित फोटोग्राफ
अभिप्रमाणित हस्ताक्षर

सामान्य मार्गदर्शन/निदेश

1. तकनीकी एवं वित्तीय बीड अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे में रख कर एक बड़े लिफाफे में अपना पूरा पता अंकित करते हुए दिनांक 27/07/2015 के अपराह्न 3:00 बजे अप0 तक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रामगढ़ के कार्यालय में समर्पित किया जाय।
2. उपायुक्त, रामगढ़/प्राधिकृत वरिय पदाधिकारी की अध्यक्षता में निविदा समिति के समक्ष उसी दिन अपराह्न 4:00 बजे निविदा खोला जाएगा, जिसके दौरान निविदादाता उपस्थित रह सकते हैं।
3. परिवहन अभिकर्ता चयनित होने पर 03 (तीन) दिनों के अन्दर जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रामगढ़ के साथ एकरारनामा सम्पादित करना होगा।
4. उपायुक्त, रामगढ़ को वगैर कारण बताये निविदा को रद्द करने/स्थगित करने/समय में परिवर्तन करने/दर वार्ता करने/एक से अधिक निविदा दाताओं के बीच कार्य वितरण करने/नियुक्त परिवहन अभिकर्ता के कार्य को संतोषप्रद पाये जाने एवं आवश्यकता होने पर अधिकतम अतिरिक्त एक वर्ष की अवधि विस्तार करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
5. अन्य किसी प्रकार की संबंधित जानकारी, जिला आपूर्ति कार्यालय, रामगढ़ से प्राप्त किया जा सकता है।


उपायुक्त,
रामगढ़।